

जैव विविधता

Biodiversity

जैव विविधता प्रबन्धन समिति के
गठन हेतु दिशा-निर्देश पुस्तिका



हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड
Haryana State Biodiversity Board



प्रकाशक	:	राज्य जैव विविधता बोर्ड, हरियाणा पंचकूला — 134109
प्रकाशन	:	नवम्बर, 2018
मार्गदर्शन	:	गुलशन आहूजा, अध्यक्ष हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, पंचकूला
सम्पादक	:	जगदीश चन्द्र, भा००८०८०
आभार	:	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, हरियाणा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई (तामिलनाडु) अर्थवॉच इन्सटीच्यूट, इंडिया।

प्राक्तथन

जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जैव विविधता अधिनियम 2002 में दिये गए प्रावधान अनुसार जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (बी.एम.सी.) का गठन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन से सम्बंधित यह पुस्तिका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों अनुसार हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा तैयार की गई है।

यह पुस्तिका जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन के समस्त पहलुओं से सभी पक्षों को शिक्षित एवं जागरूक बनाने का सतत प्रयास है तथा इसको तैयार करने में सराहनीय योगदान के लिए जुड़े सभी व्यक्ति बधाई के पात्र हैं।

आशा है कि यह पुस्तिका जैव विविधता प्रबन्ध समितियां गठन करने तथा उनके संचालन में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

गुलशन आहूजा, अध्यक्ष
हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड



विष;-सूची

1.	भूमिका	6
2.	पृथ्वी सम्मेलन 1992: रियो-डि-जनेरियो	7
3.	जैव विविधता कन्वेशन	7
4.	जैव विविधता अधिनियम, 2002	7
5.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन	8
6.	राज्य जैव विविधता बोर्ड, हरियाणा	8
7.	स्थानीय निकाय का तात्पर्य	8
8.	हरियाणा राज्य के स्थानीय निकाय	8
9.	जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.) क्या हैं	9
10.	जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी.एम.सी.) का गठन	9
11.	बी.एम.सी. के अध्यक्ष का चुनाव	9
12.	बी.एम.सी. द्वारा बैंक में खाता खोला जाना तथा उसका रख-रखाव	10
13.	बी.एम.सी. गठन सम्बंधी महत्वपूर्ण सुझाव	10
14.	बी.एम.सी. का कार्यकाल	10
15.	बी.एम.सी. को अन्य समितियों के साथ एकीकृत किया जाना	11
16.	बी.एम.सी. की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	11
17.	बी.एम.सी. की बैठकें एवं क्रियाकलाप	11
18.	लोक जैव विविधता रजिस्टर	12
19.	बी.एम.सी. के अधिकार	12

भूमिका

सरल भाषा में “जैव विविधता” शब्द का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्रकार के जीवों से है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर जीव—जन्तुओं की लगभग 1.0 करोड़ से 1.50 करोड़ प्रजातियां निवास करती हैं जिनमें से वैज्ञानिकों द्वारा अब तक लगभग 18 लाख प्रजातियों की ही पहचान की जा सकी है। वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 727 करोड़ मनुष्य निवास करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ की वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि में विश्व की जनसंख्या में लगभग 100 करोड़ की वृद्धि होती है। यह भी अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक विश्व की मानवीय जनसंख्या 1000 करोड़ से अधिक हो जायेगी। हाल के कई वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 300 करोड़ मनुष्यों के पोषण हेतु ही पर्याप्त प्राकृतिक जैव संसाधन उपलब्ध हैं। वस्तुतः पृथ्वी पर मानवीय जनसंख्या से उत्पन्न पुनरावर्ती दबाव के कारण हम अपने बहुमूल्य प्राकृतिक एवं जैव संसाधनों को खोते जा रहे हैं।




पृथ्वी सम्मेलन 1992: रियो-डि-जनेरियो

जनसंख्या विस्फोट, अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप तथा प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विदेहन से उत्पन्न खतरों के दृष्टिगत वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो-डि-जनेरियो शहर में "पृथ्वी सम्मेलन" का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 178 विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 108 राष्ट्राध्यक्ष थे। इस वैश्विक सम्मेलन के फलस्वरूप "संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन" (सी0बी0डी0) अर्थात Convention on biological diversity की वर्ष 1993 में स्थापना हुई। इसका सचिवालय मोन्ट्रियल (कनाडा) में स्थित है।

जैव विविधता कन्वेंशन

जैव विविधता कन्वेंशन 28 दिसम्बर, 1993 से प्रभावी हुआ तथा फरवरी, 1994 में भारत इस कन्वेंशन का औपचारिक रूप से सदस्य बन गया। वर्तमान में विश्व के कुल 194 देश जैव विविधता कन्वेंशन के सदस्य हैं।



इस कन्वेंशन के निम्नवत् तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

1. जैव विविधता का संरक्षण
2. जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग
3. जैव/आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का उचित एवं न्यायसंगत प्रभाजन

जैव विविधता अधिनियम, 2002

जैव विविधता कन्वेंशन (सी०बी०डी०) का सदस्य राष्ट्र होने की प्रतिबद्धता तथा कन्वेंशन के तीन मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत की संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 प्रतिस्थापित किया गया, जो दिनांक 05 फरवरी, 2003 से प्रभावी हुआ।

सी०बी०डी० के मुख्य तीन उद्देश्य की भाँति जैव विविधता अधिनियम, 2002 के भी निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्य :-

1. जैव विविधता का संरक्षण
2. जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग
3. जैव/आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का उचित एवं न्यायसंगत प्रभाजन



जैव विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन

जैव विविधता अधिनियम का अनुपालन तीन स्तरों पर गठित संस्थाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस व्यवस्था में प्रथम स्तर “राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण” यानि National Biodiversity Authority (एन०बी०ए०) है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित एन०बी०ए० का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। दूसरे स्तर पर भारत के सभी राज्यों द्वारा “राज्य जैव विविधता बोर्ड” गठित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा गठित राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला में है। इस व्यवस्था में तीसरे स्तर पर “जैव विविधता प्रबन्ध समिति” (बी.एम.सी.) का स्थान है, जिसका गठन स्थानीय निकाय जैसे ज़िला परिषद स्तर, ब्लॉक स्तर, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है।



हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड

जैव विविधता अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हरियाणा सरकार द्वारा “राज्य जैव विविधता बोर्ड” का गठन वर्ष 2006 में किया गया। अधिनियम की धारा-22 में विहित बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं:-

- 1 जैव विविधता संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ के सहभाजन से संबंधित विषय में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अधीन राज्य सरकार को सलाह देना।
- 2 भारतीय नागरिकों/संस्थाओं से जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग अथवा जैव सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत कर विनियमित करना।
- 3 अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन संबंधी अन्य आवश्यक कार्य, जैसा राज्य सरकार द्वारा अलॉट किया जाए।

स्थानीय निकाय का तात्पर्य

स्थानीय निकाय का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) (1) में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था (ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद) तथा अनुच्छेद 243 (थ) (1) में शहरी क्षेत्रों हेतु नगर पालिकाओं (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम) से है।



हरियाणा राज्य में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित स्थानीय निकायों की संख्या निम्न प्रकार से है :

ग्राम पंचायत की संख्या 6205

ब्लॉक समिति की संख्या 140

जिला परिषद् की संख्या 21

जैव विविधता प्रबन्ध समिति(बी०एम०सी०)

जैव विविधता अधिनियम की धारा-41 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत एक "जैव विविधता प्रबन्ध समिति" (Biodiversity Management Committee) अर्थात बी.एम.सी.का गठन करेगा। उक्त गठित समिति की वैधानिक स्थिति स्वतंत्र निकाय जैसी ही होगी। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 06 निम्न प्रकार से होगी:-

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1 अध्यक्ष (किसी भी वर्ग का) | — 1 |
| 2 महिला सदस्य | — 2 |
| 3 अनु० जा०/अनु० ज०जा० वर्ग सदस्य | — 1 |
| 4 सदस्य (किसी भी वर्ग का) | — 2 |


बी० एम० सी०के सचिव का कार्य के लिए उस क्षेत्र में कार्यरत वन विभाग के वन रक्षक/वनदरोगा व पंचायत सचिव में से किसी एक को नामित किया जा सकता है। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर तदानुसार सचिव के लिए सम्बन्धितव्यक्ति को नामित किया किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक बी० एम० सी० में सचिव सहित कुल 07 सदस्य होंगे।



जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी०एम०सी०) गठन

बी०एम०सी० गठन की प्रक्रिया में ग्राम सभा के विभिन्न समूहों, उपेक्षित समुदायों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये। समिति के गठन तथा संचालन की प्रक्रिया में सभ्य सामाजिक संगठनों तथा तकनीकी सहायता समूहों की मदद ली जा सकती है।

बी.एम.सी.के गठन हेतु सर्वप्रथम सम्बन्धित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय निकाय की एक आम बैठक बुलायी जाएगी। बैठक में आम सहमति से अधिकतम 06 व्यक्तियों को समिति का सदस्य चयनित किया जाएगा। जिसमें दो महिला सदस्य तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग का सदस्य अवश्य हो।



बी०एम०सी० के अध्यक्ष का चुनाव

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के पूर्व चयनित 06 सदस्यों द्वारा आपस में किसी एक सदस्य का किया जायेगा। अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव की बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निकाय के अध्यक्ष करेंगे। चुनाव के दौरान मत बराबर होने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। जैवविविधता प्रबन्ध समिति के सचिव को मत देने का अधिकार नहीं होगा। बी० एम० सी० के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।



बी०एम०सी० द्वारा बैंक में खाता खोला जाना तथा उसका रख-रखाव

1. बी०एम०सी० गठित होने के पश्चात् नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति का एक खाता खोला जायेगा जिसे “स्थानीय जैव विविधता निधि” कहा जायेगा।
2. समिति को प्राप्त समस्त आय को इस खाते में रखा जायेगा।
3. बी०एम०सी० द्वारा समस्त भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। जिस पर समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर संयुक्त रूप से होंगे।
4. बी०एम०सी० के धन की संभाल की जिम्मेदारी समिति के सचिव की है, जो प्राप्ति, जमा धनराशि के हस्तान्तरण तथा लेखा के उचित प्रकार से रख-रखाव हेतु भी उत्तरदायी होगा।
5. खातों के वार्षिक लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त लेखा परीक्षकों से कराया जायेगा जिसकी प्रति स्थानीय निकाय तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।



बी०एम०सी० गठन सम्बंधी महत्वपूर्ण सुझाव

1. स्थानीय निकाय की आम बैठक में बी०एम०सी० हेतू सदस्य नामित करते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास हो कि चयनित सदस्य विश्वासपात्र तथा जैव विविधता संरक्षण की गतिविधियों में रूचिपूर्वक योगदान करने वाला हो ।
2. समिति हेतू चयनित सभी सदस्यों के नाम सम्बंधित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अवश्य होने चाहिये ।
3. बी०एम०सी० गठन हेतू बैठक के दौरान मौजूद लोगों की उपस्थिति अवश्य दर्ज की जानी चाहिये जिसमें उनके हस्ताक्षर भी अवश्य हों ।
4. बी०एम०सी० गठन हेतू आम सभा बैठक की कम से कम 05 फोटो अवश्य ली जानी चाहिये ।



बी०एम०सी० का कार्यकाल

बी०एम०सी० गठित होने के पश्चात् ही इसके संचालन का कार्य शीघ्र आरम्भ होना चहिये। स्थानीय निकाय द्वारा कार्यालय उपलब्ध कराये जाने की दशा में बी०एम०सी० उक्त कार्यालय परिसर से कार्य संचालित कर सकता है। जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 05 वर्ष/यानी स्थानीय निकाय के कार्यकाल के समरूप होगा। नई समिति के गठन होने तक पूर्व गठित समिति यथावत् कार्य करती रहेगी।

बी०एम०सी० को अन्य समितियों के साथ एकीकृत किया जाना

गठित बी०एम०सी० को सरकार की वैधानिक शक्तियों अथवा प्रशासनिक आदेशों द्वारा गठित अन्य समितियों, जो वन/प्राकृतिक संसाधनों से सम्बंधित हों, आवश्यकतानुसार साथ मिलकर कार्य करना चाहिये। हरियाणा राज्य में गांव वन समितियां एक उदाहरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त बागवानी, वनस्पति विज्ञानी, वैद्य इत्यादि को भी बी०एम०सी० के साथ जैव विविधता संरक्षण कार्यों में सहयोग हेतु एकीकृत किया जा सकता है।



बी०एम०सी० की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

बी०एम०सी० की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार हैः—

- लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करवाना ।
- जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न लाभ का प्रबन्धन ।
- लोक जैव विविधता रजिस्टर में अभिलिखित पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण ।
- स्थानीय जैव विविधता की पूर्व अवस्था बहाली ।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव विविधता से सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया अथवा सूचना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण / राज्य जैव विविधता बोर्ड को उपलब्ध कराना ।
- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियों / जीव-जन्तुओं के पारम्पारिक किस्मों / नस्लों का संरक्षण ।
- वाणिज्यिक एवं अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधनों तथा / अथवा सम्बद्ध पारम्पारिक ज्ञान तक पहुंच ।
- विरासत स्थलों सहित विरासतीय वृक्षों, पशुओं, पवित्र वनों एवं पवित्र जल निकायों का प्रबन्धन ।
- जैव विविधता शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना ।



बी०एम०सी० की बैठकें एवं संचालन

- बी०एम०सी० वर्ष में कम से कम 04 बार तथा तीन माह में एक बार बैठकों का आयोजन करेगी।
- बैठक की अध्यक्षता बी०एम०सी० के अध्यक्ष तथा उनकी अनुपरिथिति में उपस्थित सदस्यों में से चुना सदस्य करेगा।
- प्रत्येक बैठक हेतु अध्यक्ष सहित तथा सचिव को छोड़कर गणपूर्ति की संख्या 03 होगी।

लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना

अधिनियम के अनुसार लोक "जैव विविधता रजिस्टर" (पी०बी०आर०) तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व जैव विविधता प्रबन्ध समिति पर है। इस रजिस्टर में बी०एम०सी० के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध सभी जैव विविधताओं का अभिलेखीकरण निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा। तकनीकी कार्य होने के कारण इस कार्य में "तकनीकी सहायता समूह" का सहयोग बी०एम०सी० द्वारा लिया जायेगा। इन तकनीकी सहायता समूहों की नियुक्ति राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा की जायेगी।

इसके अतिरिक्त बी०एम०सी० द्वारा "जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख" भी तैयार किया जाना अपेक्षित है जिसमें क्षेत्र की परिस्थितिकी, संस्कृति, अध्यात्म, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव संसाधनों से सम्बंधित प्रचलित रथानीय प्रथा को अभिलिखित किया जायेगा।



लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना

1. जैव विविधता अधिनियम की धारा 41(3) के अनुसार बी0एम0सी0 अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन एकत्रित करने वाले व्यक्ति / संस्था से संग्रहण शुल्क प्राप्त कर सकती है।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारिता में उपलब्ध जैव संसाधनों तक पहुँच एवंउसके सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के सम्बंध में निर्णय लेने से पूर्व बी0एम0सी0 से परामर्श करेंगे।
3. बी0एम0सी0 तथा हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग दण्डनीय अपराध है। कोई भी प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बंधित बी0एम0सी0 द्वारा हस्तक्षेप कर उसकी सूचना तत्काल राज्य जैव विविधता बोर्ड को देनी चाहिये। “जैव संसाधन” का तात्पर्य पौधों, जीव जन्तुओं, सूक्ष्म जीवों या उनके भाग सहित आनुवांशिक पदार्थ (मूल्यवर्धित उत्पाद तथा मानवीय आनुवांशिक पदार्थों को छोड़कर) से है।



ग्राम पंचायत स्तर के प्रस्ताव का नमूना

ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या: दिनांक :

ग्राम पंचायत का नाम: विकास खण्ड:

जिला :

दिनांक को बजे स्थान पर

..... ग्राम पंचायत के प्रधान श्री / श्रीमति

की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम-2004 के नियम 22 एवं हरियाणा राज्य जैव विविधता नियमावली के अधीन तीन / पाँच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे:

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुँच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सलाह, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।

4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुँच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधन तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुँच हेतु निर्धारित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके आबंटन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैवसंसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी दर्ज करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेगा।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय—समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर) सचिव

हस्ताक्षर एवं मोहर

(स्थायी अधिष्ठान से)

अध्यक्ष / ग्राम पंचायत

जैव विविधता प्रबन्ध समिति

ग्राम पंचायत.....

ग्राम पंचायत.....

ब्लाक समिति स्तर के प्रस्ताव का नमूना

ब्लाक समिति स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या: दिनांक :

ब्लाक समिति का नाम: विकास खण्ड:

जिला :

दिनांक को बजे स्थान पर

..... ब्लाक समिति के प्रधान श्री / श्रीमति

की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम-2004 के नियम 22 एवं हरियाणा राज्य जैव विविधता नियमावली के अधीन तीन / पाँच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे:

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुँच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सलाह, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।

4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुँच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधन तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुँच हेतु निर्धारित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके आबंटन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैवसंसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी दर्ज करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेगा।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय—समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर) सचिव

(स्थायी अधिष्ठान से)

हस्ताक्षर एवं मोहर

अध्यक्ष / ब्लाक समिति

ब्लाक समिति.....

जैव विविधता प्रबन्ध समिति

ब्लाक समिति.....

ज़िला परिषद स्तर के प्रस्ताव का नमूना

ज़िला परिषद स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन

प्रस्ताव संख्या: दिनांक :

जिला परिषद का नाम: विकास खण्ड:

जिला :

दिनांक को बजे स्थान पर

..... जिला परिषद के प्रधान श्री / श्रीमति

की अध्यक्षता में तथा उपस्थित सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा 41(1) तथा जैव विविधता नियम-2004 के नियम 22 एवं हरियाणा राज्य जैव विविधता नियमावली के अधीन तीन / पाँच वर्षों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किया गया।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	पूरा नाम तथा पता	आयु	श्रेणी	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष	
2			महिला सदस्य	
3			महिला सदस्य	
4			अनुजाऊ / अनुजोजाऊ सदस्य	
5			सदस्य	
6			सदस्य	
7			सचिव (नामित)	

जैव विविधता प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे:

1. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग।
2. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत जैव संसाधनों तक अवैध रूप से पहुँच को रोकना।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई तथा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड को विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सलाह, जब कभी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना।

4. अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति से जैव संसाधनों तक पहुँच या संग्रहण हेतु अधिनियम के अनुरूप संग्रह शुल्क लगाना/वसूल करना।
5. जैव संसाधन उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्यों तथा व्यवसायियों के सम्बन्ध में आंकड़े संधारित करना।
6. जैव संसाधन तथा पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुँच हेतु निर्धारित फीस के संग्रहण के ब्यौरे तथा प्राप्त फायदों तथा उनके आंबटन की विधि के ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना।
7. जैव विविधता प्रबन्ध समिति स्थानीय जैव संसाधनों तथा सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान सम्बन्धी जानकारी दर्ज करने की कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहेंगे।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा हरियाणा जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय—समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जैव विविधता निधि के उपयोग एवं प्रबन्धन का कार्य करना।

(हस्ताक्षर एवं मोहर) सचिव

(स्थायी अधिष्ठान से)

हस्ताक्षर एवं मोहर

अध्यक्ष / जिला परिषद

जिला परिषद.....

जैव विविधता प्रबन्ध समिति

जिला परिषद.....

बी एम सी बैठकों के मिनटों की रिकार्डिंग के लिए प्रारूप

जैव विविधता प्रबंधन समितिके कार्यवृत्त

बैठक हुई

बैठक का स्थान

बैठक के अजेंडा:

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)

चर्चा और निर्णय किए गए प्रमुख मुद्दों सहित कार्यवाही :

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)

उपस्थित सदस्यों की सूची और उनके पदनाम और हस्ताक्षर

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)

हरियाणा राज्य में विलुप्त होती हुई पेड़ों की प्रजातियां


Asparagus racemosus



Salvadora persica



Tecomella undulata



Tinospora cordifolia



हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड
Haryana State Biodiversity Board